पत्रांक—भवन/बजट–11–विधानमंडल भवनों का साज–सामान–05/201–18............ 233 (अ)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

चंचल कुमार,
सरकार के प्रधान सचिव,।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग, बिहार।

दिनांक– 9.1.18

विषयः–सरकारी कार्यालयों एवं आवासों में प्राक्कलन में अंकित महँगे सामग्रियों की आपूर्त्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सरकारी कार्यालयों, विधानसभा/विधान परिषद सचिवालय भवनों में या अन्य महानुभावों के कमरों में प्राक्कलन के अनुसार महँगी और सुविधा/जगह के दृष्टिकोण से गैर व्यावहारिक फर्नीचरों/सामग्रियों की आपूर्त्ति किए जाने की बात संबंधित विभाग या कार्यालय के पदाधिकारियों द्वारा की जाती है। सरकारी निर्माण/सामग्री आपूर्त्ति में मितव्ययिता आवश्यक है। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्यालयों में सामग्री आपूर्त्ति करने से पहले संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा संबंधित कार्यालय के पदाधिकारियों से विमर्श नहीं किया जाता है या विमर्श कर उनकी आवश्यकता का आकलन नहीं किया जाता है।

अतः निदेश दिया जाता है कि प्राक्कलन में किसी भी फर्नीचरों के अंकित रहने के बाद भी उसकी आपूर्त्ति के पूर्व विभाग/कार्यालय के पदाधिकारी से अवश्य विमर्श कर सहमति प्राप्त कर लेंगे।

विश्वासभाजन

8.1.18

(चंचल कुमार)
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 233 (अ) पटना, दिनांक– 9.1.18

प्रतिलिपि–सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, पटना एवं निदेशक, अनुश्रवण, भवन निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.1.18

सरकार के प्रधान सचिव।